>

Title: Need to extend the benefit of Crop Insurance Scheme to apple growers in Himachal Pradesh.

डॉ. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): महोदय, हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के नाम से जाना जाता है और मेरे संसदीय क्षेत्र शिमला में तो फल-उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। पिछले कुछ वÂाों में प्राकृतिक प्रकोप-वश कभी ओला-वृÂिट हिम-वृÂिट तथा कभी अतिवृÂिÂट या अनावृÂिÂट होती रही तो कभी आंधी-तूफान आते रहे। कुछ क्षेत्रों में तो प्राकृतिक प्रकोप इतना भयंकर था कि ओला-वृÂिÂट के कारण बागवानों का बीज तक की लागत भी हाथ नहीं लगी और इस प्रकार ऐसे किसान-बागवानों को कर्जा उठाकर क्षति की भरपाई करनी पड़ी।

हालांकि प्रदेश सरकार की समर्थन-मूल्य नीति से ऐसे किसानों/बागवानों को कुछ राहत तो अवश्य मिली है लेकिन इतनी भारी क्षति का सामना करने की स्थिति में यह न के बराबर है। अतः इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना अनिवार्य है।

जहां सेब-उत्पादन से प्रदेश का बागवानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है वहीं इससे भूमि-संरक्षण, पर्यावरण-संरक्षण आदि जैसे लाभों के द्वारा पूरा देश भी लाभान्वित हुआ है।

मान्यवर, मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से किसानों/बागवानों को संरक्षण प्रदान किया जाये। सेब-उत्पादन को रÂट्रीय-कृÂिा नीति के अंतर्गत लाकर रÂÂट्रीय कृÂिÂा बीमा योजना के तहत लाया जाए ताकि प्रदेश का सेब-उत्पादक इस योजना का पूर्ण लाभ उठा सके और सेब-उत्पाद न केवल रÂÂ-ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्रÂÂट्रीय मंडियों में भी बेचे जा सकें।